(15)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 69 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
ताराराम पुत्र नथाराम जाति पुरोहित निवासी लवंगीनगर, भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. रूगाराम पुत्र नथाराम 2. राणाराम पुत्र नथाराम जाति पुरोहित निवासी लवंगीनगर, भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रवन्धक, एसबीआई कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी 4. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा राणा प्रताप बाजार गुड़ामालानी 5. त्हसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 07 / 2022 बअनवान रूगाराम बनाम ताराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हरीराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पूनमाराम विश्नोई रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंटस संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—25.10.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 285 / 2, 286 रकबा क्रमशः 0.0243,

25.x.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(16)

7.2600 हैक्टयर मौजा लवंगीनगर पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर का आया हुआ है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के खातेदारी के है तथा इसी अनुरूप मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड अलग अलग हिस्से खुल्ले हुऐ है, जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/उतरदाता संख्या 01 ने हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटस की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को निर्णित करने से पूर्व कोई विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा न ही वादी या प्रतिवादी की साक्ष्य कमलबद्ध की गई है तथा बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये व साक्ष्य लिये ही अपीलाधीन वाद को निर्णित किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में जहां पर अपीलांट

25.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(17)

की वर्षों पुरानी ढाणी बनी हुई है उसको चिरते हुए सरकारी रास्ता रखा गया है जबकि वहा से रास्ता निकाला जाना कतई सम्भव नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी वहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण कर अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांटगण द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं, तहसीलदार गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर-बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम-ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंटस संख्या 02 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुझ पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त भी सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव में भी सूचना/नोटिस जारी करने के क्रमांक एवं दिनांक रिक्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत वाद में अपीलांटस के नाम

25.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(13)

से रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाया गया जो अपीलांटस से पर्याप्त तामील हुआ। मूल वाद के निस्तारण में अनावश्यक लंबा करने के नियत से अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई जाने के पश्चात अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिये वकील उपस्थित हुआ तथा दिनांक 23.05.2023 को एक आवेदन पेश कर एकपक्षीय कार्यवाही मंसुख करने का आवेदन पेश किया जो वाद सुनवाई दिनांक 12.06.2023 को खारिज किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांटस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की गई। अपीलांटस द्वारा अपील में आपति की गई कि मूल वाद में विवाद्यक बिन्दू कायम नहीं किये गये जबकि तीन विवाद्यक बिन्दू कायम किये गये तथा निर्णय भी तनकीवार पारित किया गया। अपील के अनुतोष में निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2023 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया जबकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की सही दिनांक 19.06.2023 है। उपरोक्त तथ्यों से यह जाहिर होता है कि अपील आधे अधूरे ज्ञान से पेश की गई जो अपीलांटस की पैरवी में उदासिनता को दर्शाता है। मातहत अदालत ने अपीलांटस को सुनवाई का अवसर देते हुए संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार का उजर नहीं करने से स्पष्ट होता है कि अपीलांट को हिस्सों को लेकर कोई विवाद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर पेश आपति पर सुनवाई कर आपति का निस्तारण किया गया। हस्तगत वाद में विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) गुड़ामालानी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 19.06.2023 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार गुड़ामालानी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि

25.x.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(19)

दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/2022 बअनवान रूगाराम बनाम ताराराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2023 को यथावत रखा जाता है।

25.x.23

(मंगलाराम पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.x.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर